सर्किल रेट बढ़े तो भी बेअसर रहेंगे सभी औद्योगिक इलाके

■ **NBT रिपोर्ट, लखनऊ:** राजधानी में सर्किल रेट बढ़े तो इंडस्ट्रियल एरिया पर इसका नहीं पड़ेगा। प्रस्तावित लिस्ट में अकृषक जमीनों का सर्किल रेट अधिकतम 25% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। इंडस्ट्रियल एरिया भी अकृषक जमीन पर ही डिवेलप किए जा रहे हैं। ये जमीनें किसी न किसी संस्था की ओर से उद्योगपतियों को लीज पर दी गई हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया में अलग से सर्किल रेट बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ऐसे में इंडस्ट्रियल एरिया में पूर्व से लागू नियमावली के आधार पर ही खरीद-फरोख्त होगी। माना जा रहा है कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है।

सरकारी संस्थाओं ने लीज पर दी है अकृषक जमीनें

अमौसी इंडस्ट्रियल एरिया के महामंत्री रजत मेहरा का कहना है कि सरकार ने शुरू से उद्योगों को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया है। सभी इंडस्ट्रियल एरिया की जमीनें किसी ने किसी संस्था के जरिए उद्योगपतियों को लीज प्रीमियम रेट पर दी गई हैं। अमौसी इंडस्ट्रियल एरिया की जमीन यूपीएसआईडीसी ने लीज पर दी है। ऐसे में कारोबार के लिए अकृषक जमीन लीज पर देने में सर्किल रेट का खास असर नहीं पड़ेगा।

इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूदा सर्किल रेट

अमौसी औद्योगिक क्षेत्र:	4,500
गहरू औद्योगिक क्षेत्र:	5,000
तालकटोरा औद्योगिक क्षेत्र:	6,000
चिनहट औद्योगिक क्षेत्र:	6,000
धावा औद्योगिक क्षेत्र:	5,000
डिफेंस कॉरिडोर, भटगाव:	1,700
सरोजनीनगर औद्योगिक क्षेत्र:	4,500